No. 75 Dated - 14-07-2026

न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 797/2026

13.07.2026

आवेदक **विजय महतो** की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक को **कासिम बाजार थाना काण्ड संख्या 109/2026** अन्तर्गत **धारा 126 (2), 115 (2), 117 (2), 303 (2), 352, 351 (2), 3 (5)** में गिरफ्तारी की आशंका के कारण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा पूर्व में कोई नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत के लिए यह आवेदन दाखिल करने से होने वाली अपमान की आशंका है। मिथु कुमार ने दिनांक 05.04.2026 को कासिम बाजार थाना में एक लिखित आवेदन दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दिनांक 05.04.2026 को विजय महतो, उसकी पत्नी सुषमा देवी और उसकी बेटी सुष्मिता कुमारी ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया तथा उसका सोने का हनुमानी लॉकेट सुषमा देवी ने छीन लिया और उपरोक्त लिखित बयान के आधार पर अपना ईलाज करवाया। कासिम बाजार थाना में आवेदक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आवेदक निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है तथा उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध चोरी का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। सुषमा देवी को माननीय न्यायाधीश, तृतीय, मुंगेर के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 545/2026 के तहत जमानद दी गई है। प्राथमिकी में दर्ज सभी धाराएँ जमानतीय है, केवल धारा 302 (2) बी0एन0एस0 को छोड़कर। आवेदक और सूचक आपस में पड़ोसी है। आवेदक का कथित अपराध से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आवेदक बी0एन0एस0 की धारा 482 के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। आवेदक एक साधन संपन्न व्यक्ति है और उसके भाग जाने की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत आवेदन पर रिहा करने की कृपा की जाए।

विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

लगातार

13.07.2026

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और पूर्व में न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 545/2026 में अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा चुका है। घटना दिनांक 05.04.2026 की है और जान से मारने की नियत से बांये ऑख पर चाकू से गंभीर रूप से मारपीट करने का आरोप है, जबकि कांड दैनिकी के मे लगे जख्म प्रतिवेदन में बांये ऑख के पास हल्की सी सूजन तथा दर्द सामान्य प्रकृति का जख्म जो कड़े तथा भोथरे हथियार से किया जाना कारित किया गया है और चोरी किए गए समान की बरामदगी भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत आवेदन का लाभ देना न्यायालय उचित समझती है।

अतः आवेदक अभियुक्त को मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) रूपया के दो (02) समान राशि के प्रतिभूओं सहित निम्न शर्तों पर शपथपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. एक जमानतदार परिवार के सदस्य अथवा निकट संबंधी होंगे।

2.. शपथपत्र दाखिल करेंगे, जिसमें धारा 482 (2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो का पालन करेंगें तथा प्रत्येक तिथि को हाजिरी एवं पैरवी दाखिल करेंगे। यदि लगातार दो तिथियो तक अनुपस्थित रहेंगे तो उनका अभियोजन के आवेदन पर उनका बंधपत्र खंडित किया जा सकता है।

3. इस आदेश के प्राप्ति के 20 (बीस) दिनों के अंदर संबंधित विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करेंगे।

कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेंजे।

Order of copy and L.C.R भेजा गया

D.B. No.— 75, Dated 14-07-26

लेखापित

(विकास मिश्र)

जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

दिनांक 13.07.2026

Court of A. D. J. III Munger